UPSH010057842025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट),कक्ष संख्या–4, शाहजहाँपुर।
उपस्थित–शिव कुमार–III————एच0जे0एस0।

विशेष सत्र वाद संख्याः–1628 / 2025,	
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम	अब्दुल हसीब पुत्र मिंया रफीक निवासी मोहल्ला अहमदपुर निकट डा0 एजाज वाली गली थाना रामचन्द्र मिशन, जिला शाहजहॉपुर।
अपराध संख्या	1110 / 2022
अंतर्गत धारा	135 विद्युत अधिनियम।
थाना व जिला	ए0पी0टी0, जिला शाहजहॉपुर।
वादी मुकदमा	अवर अभियन्ता अंकित तिवारी,
प्रतिनिधित्व वादी	श्री सूर्योदय कुमार सिंह लोक अभियोजक एवं श्री विनोद सक्सेना पैनल अधिवक्ता (विद्युत)
अभियुक्त	अब्दुल हसीब
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	विद्वान अधिवक्ता श्री हरभजन सिंह,
घटना की तिथि	29.07.2022
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि	29.07.2022
आरोपपत्र संख्या व प्रेषित किये जाने की तिथि	348 / 2025 03.07.2025
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	15.11.2025

उक्त वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्रों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श कः–

क0सं0	प्रदर्श संख्या	प्रपत्र का नाम	प्रमाणितकर्ता
1.	प्रदर्श क–1	लिखित तहरीरी	साक्षी पी0डब्लू0–1 राजेश कुमार कार्यालय सहायक

निर्णय

1. अभियुक्त अब्दुल हसीब के विरुद्ध मु0अ0सं0–1110 / 2022, धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत थाना ए0पी0टी0, जिला शाहजहाँपुर के मामले में वाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर दिनांक 02.09.2025 को प्रसंज्ञान लिया गया है, जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रकरण का विचारण इस

न्यायालय द्वारा किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अवर अभियन्ता अंकित तिवारी ने थाने पर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक–29.07.2022 को समय 04.00 बजे वहद स्थान मो0 अहमदपुर निकट डॉ एजाज वाली गली, थाना रामचन्द्र मिशन, थाना रामचन्द्र मिशन, जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत विद्युत कर्मचारियों द्वारा विद्युत चेकिंग का अभियान चलाया गया जिसमें अभियुक्त मीटर वाईपास कर विद्युत चोरी करते पाया गया, जो कि विद्युत अधिनियम की धारा–135 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

3. अभियुक्त को घरेलू कनेक्शन में विद्युत का उपभोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी में होने से अवगत कराया तथा शमन शुल्क धारा 152 के अन्तर्गत अदा करने के प्रावधान से भी अवगत कराया परन्तु शमन शुल्क अदा करने से इन्कार कर दिया। तब वादी ने रिपोर्ट लिखकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की है।

4. उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त अब्दुल हसीब के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–1110/2022, पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा जी0डी0 में किया गया।

5. उक्त मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, गवाहान के बयान लिये। विवेचनापरान्त अभियुक्त अब्दुल हसीब के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जो विशेष वाद सं0–1628/2025, राज्य बनाम अब्दुल हसीब के रूप में दर्ज हुआ और अभियुक्त के विरूद्व उक्त धारा के अधीन अपराध के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लिया। अभियुक्त को धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता (230 बी0एन0एस0एस0) के अधीन नकलें आदि प्रदान की गयीं।

6. अभियुक्त अब्दुल हसीब के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अधीन आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण का दावा किया।

7. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी.डब्लू.1 राजेश कुमार कार्यालय सहायक को परीक्षित कराया गया। अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्न हैः–लिखित तहरीरी प्रदर्श क–1, चिक एफ0आई0आर0, नक्शा–नजरी एवं आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (351 बी0एन0एस0एस0) दर्ज किया गया, जिसमें उसने घटना को गलत होना बताया तथा मुकदमा गलत चलना बताया तथा अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

11. अभियेाजन की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान बिजली चोरी की जा रही थी, यदि उसके द्वारा पैसा जमा भी कर दिया गया है तो इससे उसका अपराध समाप्त नहीं हो जाता है। अतः उसे कठोर दण्ड से दंडित किया जाये।

बचाव पक्ष की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

12. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

13. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के आलोक में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(1)ख के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत मामले के अवधारण के लिये निम्नांकित प्रश्नों का विनिश्चय किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

14. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः—क्या अभियुक्त द्वारा विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान विद्युत चोरी की जा रही थी?

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0—1 राजेश कुमार कार्यालय सहायक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि *''वादी मुकदमा अंकित तिवारी द्वारा चेकिंग अभियान मो0 अहमदपुर में चलाया गया जिसमें अब्दुल हसीब पुत्र मिया रफीक जो कि घरेलू चोरी करता पाया गया, जिस पर वादी मुकदमा अंकित तिवारी द्वारा तहरीर प्रार्थना पत्र कम्प्यूटर टाईप कराकर थाना ए0पी0टी0 में देकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया। उक्त तहरीर मेरे सामने है, जिस पर प्रदर्श क—1 डाला गया।''*

अग्रतर साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया कि *''बाद में अब्दुल हसीब द्वारा उपरोक्त बाद से सम्बन्धित राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क पत्रावली पर दाखिल रसीदों के आधार पर जमा कर दिया गया है।''* इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि *''यह कहना सही है कि अब्दुल हसीब द्वारा उपरोक्त वाद से सम्बन्धित समस्त विद्युत देय दाखिल रसीदों के आधार पर जमा कर दिया गया है।''*

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा यद्यपि बिजली विभाग में बकाया धनराशि जमा कर दी गयी है परन्तु बकाया धनराशि जमा करने से अभियुक्त का अपराध समाप्त नही हो जाता है, परन्तु अभियुक्त का उक्त अपराध शमनीय प्रकृति का है। अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क अदा किया जा चुका है। जिसकी रसीदें पत्रावली पर संलग्न है।

16. **धारा 152 (2) विद्युत अधिनियम यह उपबन्धित करता है कि** *''उपधारा (1) के अनुसरण में धनराशि के भुगतान पर, उस अपराध से सम्बन्धित अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाएगा और कोई भी कार्यवाही किसी दाण्डिक न्यायालय में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित*

या जारी नहीं रखी जाएगी।''

धारा 152 (3) के अनुसार *''समुचित सरकार या इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उप–धारा(1) के अनुसरण में अपराध का शमन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति को दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 (1974 का सं.–2) की धारा 300 के अर्थ के अंदर दोषमुक्ति में परिवर्तित माना जाएगा।''*

17. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा विद्युत अधिनियम की धारा 152 को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अब्दुल हसीब, मु0अ0सं0–1110/2022, विशेष वाद सं0–1628/2025, धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना ए0पी0टी0, जिला शाहजहॉपुर के मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अब्दुल हसीब को मु0अ0सं0–1110/2022, विशेष वाद सं0–1628/2025, धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना ए0पी0टी0, जिला शाहजहॉपुर के मामले में आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके स्वबंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

धारा 437ए दं.प्र.संहिता (481 बी0एन0एस0एस0) के अनुपालन में अभियुक्त 25,000/–रुपये के दो जमानती व इसी धनराशि का बंध–पत्र अन्दर सप्ताह न्यायालय में दाखिल करे, जो अपील की अवधि 06 माह के लिये प्रभावी होगें। उसके उपरान्त यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगें।

दिनांक–22.06.2026

(शिव कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4
शाहजहाँपुर।
जे0ओ0सं0–यू0पी0–6453

उक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–22.06.2026

(शिव कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4
शाहजहाँपुर।
जे0ओ0सं0–यू0पी0–6453